न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
गोविन्दराम पुत्र उकाजी, जाति– लुहार, निवासी– फाचरिया, तहसील व जिला–सिरोही
बनाम

अप्रार्थी
(1) फुसाराम पुत्र रामाजी, जाति– पुरोहित, निवासी–फाचरिया, तह. व जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, तंवरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 14/2018

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम पुत्र रामाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– फाचरिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, तंवरी से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (फुसाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज एवं अप्रार्थी संख्या–2 (दो) की ओर से अधिवक्त श्री महेश शर्मा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) वकील पक्षकारान की दिनांक 02.2.2023 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम फाचरिया, तहसील व जिला– सिरोही का मूल निवासी है। प्रार्थी के मालकी स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड ग्राम फाचरिया की आबादी में आया हुआ है जिसके उत्तर में रास्ता 20 फीट का, दक्षिण में अरठ का जाव, पूर्व में पडत भूमि पंचायत की व पश्चिम में दाना कुम्हार का प्लोट है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूर्व–पश्चिम में 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। इस आवासीय भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कब्जा भोगवटा होने से व प्रार्थी एक कारीगर होने के कारण उसका निःशुल्क आवंटन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के हक में किया गया था व उसका पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.10.1990 को प्रार्थी के हक में जारी किया गया था जिसका भूखण्ड संख्या 12 है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व पट्टा जारी होने की दिनांक 30.10.1990 से निर्बाध रुप से चला आ रहा है तथा उस पर प्रार्थी 5–6 ट्रोली पत्थर भी पडे हुए है व उसके चारों तरफ कांटों की बाड की हुई। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जेशुदा व पट्टेशुदा है उसकी निजी जानकारी अप्रार्थीगण को भलीभांति है। अप्रार्थीगण ने मेल मिलाप कर प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड को हड़पने की नियत से प्रार्थी के पट्टेशुदा उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी फुसाराम [illegible] के नाम पट्टा संख्या 7 दिनांक 27.6.2014 को जारी करवा दिया एवं इस [illegible] को भूखण्ड में अप्रार्थी फुसाराम जो कि

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड पर कब्जा करने हेतु आमदा है व जबरन कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। यह कि ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि का दूसरा पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है। यह कि ग्राम पंचायत, तंवरी ने मौके की स्थिति की जांच किये बिना ही गलत रुप से प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड का अप्रार्थी फूसाराम के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जबकि मौके पर कभी भी अप्रार्थी फूसाराम का न तो कब्जा रहा है एवं न ही मौके पर अप्रार्थी फूसाराम का कोई कब्जा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी फूसाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या– 2 (दो) के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि पट्टेशुदा भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है व इसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा अप्रार्थी फुसाराम को जो पट्टा जारी किया है उस पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी फुसाराम का पुराना पुश्तैनी कब्जा नही रहा है, बल्कि मौके पर प्रार्थी काबिज है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी फुसाराम के पक्ष में पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्तावों पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर नही है। अतः प्रकरण में यथाचित आदेश पारित करावे। जबकि अप्रार्थी फुसाराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी फुसाराम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी गोविन्दराम ने ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन सरपंच (यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करते समय सरपंच पद पर रहे व्यक्ति) से मेल मिलाप कर गलत तथ्यों एवं कुटरचित दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी फुसाराम के पुराने पुश्तैनी कब्जे शुदा भूखण्ड को हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी गोविन्दराम ने निगरानी आवेदन में स्वयं को गलत रुप से ग्राम फाचरिया का निवासी होना अंकित किया है, जबकि प्रार्थी गोविन्दराम ग्राम फाचरिया का निवासी नही होकर ग्राम तंवरी का स्थाई निवासी है तथा ग्राम तंवरी में प्रार्थी गोविन्दराम का पक्का आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें वह निवास कर रहा है तथा प्रार्थी गोविन्दराम की तमाम अचल सम्पति ग्राम तंवरी में स्थित है। प्रार्थी गोविन्दराम ने स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जो निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का तथाकथित पट्टा होना बताया जा रहा है, उस पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, तंवरी में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है तथा न ही प्रार्थी गोविन्दराम को पंचायत द्वारा ग्राम फाचरिया में कोई निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किया गया है। प्रार्थी गोविन्दराम ग्राम तंवरी का स्थाई निवासी होने से प्रार्थी गोविन्दराम का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर पुराना कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी फुसाराम का पुराना पुश्तैनी कब्जा होने से ग्राम पंचायत, तंवरी ने अप्रार्थी फुसाराम के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत विधि अनुरुप प्रक्रिया अपनाते हुए मौके पर अप्रार्थी फुसाराम का पुरान पुश्तैनी कब्जा वाडा मय झौपडा होने से बाद जांच व प्रश्नगत पट्टे की भूमि का वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाकर तथा ग्राम सेवक से भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत, तंवरी के ग्राम फाचरिया की आबादी भूमि होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी के पिता का पूर्व में स्वर्गवास हो गया था व अप्रार्थी फुसाराम तत्समय अपनी मां के साथ अलग निवास कर रहा था, इस कारण से ग्राम पंचायत, तंवरी [illegible] फुसाराम के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति [illegible] व पशुपालन करके अपना गुजारा करता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, तंवरी से प्राप्त रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम पुत्र रामाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– फाचरिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी गोविन्दराम को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन करते हुए निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा दिनांक 30.10.1990 को जारी किया गया था जिसकी चतुर्दशी उत्तर में रास्ता फीट 20 फीट का, दक्षिण में अरठ का जाव, पूर्व में पडत भूमि पंचायत की एवं पश्चिम दिशा में दाना कुम्हार का भूखण्ड है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट एवं पूर्व–पश्चिम 30 फीट है तथा मौके पर प्रार्थी का दिनांक 30.10.1990 से कब्जा चला आ रहा है।" जबकि अप्रार्थी फुसाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 में अंकित चतुर्दशी के अनुसार उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में पंचायत की पडत भूमि, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में रमेश पुत्र दानाजी का बाडा है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूर्व–पश्चिम में 60 फीट है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के पट्टा दिनांक 30.10.1990 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन करने पर व प्रश्नगत पट्टा संख्या 07 में अंकित नाप व चतुर्दशी में भिन्नता पाई गई तथा इस निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के पट्टा दिनांक 30.10.1990 में गोविन्दराम पुत्र उकाजी के निवास स्थान का अंकन नही किया गया है। प्रार्थी गोविन्दराम द्वारा प्रस्तुत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के पट्टा दिनांक 30.10.1990 में अंकित शर्त संख्या 8 के अनुसार दो वर्ष के भीतर मकान या झौपडा बनाना अनिवार्य है एवं यदि इस अवधि में यह कार्य नही किया गया तो भूखण्ड को वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा, विशेष कारणवश आवंटन अधिकारी इस अवधि को बढा सकता है, लेकिन प्रार्थी गोविन्दराम ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त अवधि को आवंटन अधिकारी द्वारा बढाया गया हो अथवा दो वर्ष की अवधि में आवासीय मकान या झौपडा बनाया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 व निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के पट्टा दिनांक 30.10.1990 में अंकित व नाप का मिलान भी नही हो रहा है, ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया यह प्रमाणिक रुप से कहा जाना संभव नही है कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 7 दिनांक 27.6.2014 को उक्त निःशुल्क आवंटन पट्टा दिनांक 30.10.1990 की भूमि का ही पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थी गोविन्दराम ने निगरानी आवेदन में मौके पर प्रार्थी के पत्थर पडे होना अंकित किया है, जबकि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 में उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा होना अंकित किया है। प्रकरण में अप्रार्थी फुसाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा प्रार्थी गोविन्दराम पुत्र उकाजी, जाति– लुहार को जारी परिवार राशनकार्ड बारकोड संख्या 008997900401 की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी गोविन्दराम पुत्र उकाजी, जाति– लुहार को ग्राम तंवरी का निवासी होना अंकित किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी गोविन्दराम ग्राम फाचरिया का निवासी नही होकर ग्राम तंवरी का निवासी है। जब प्रार्थी गोविन्दराम ग्राम फाचरिया का निवासी ही नही है तो प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी गोविन्दराम का कब्जा कैसे व किस प्रकार [illegible]? इसका प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में स्पष्ट अंकन नही किया है एवं न इस संबंध में प्रार्थी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौके के [illegible] है कि जैसी भी कब्जे स्वामित्व

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का निर्धारण सक्षम सिविल द्वारा ही किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी फुसाराम को ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 06.8.2018 को प्रस्तुत किया गया है एवं इस 4 वर्ष से अधिक विलम्ब की अवधि के संबंध में भी प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में कोई यथोचित्त कारण नही दर्शाया है।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, तंवरी से प्राप्त रेकर्ड एवं संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम के आवेदन पर विधिवत मिसल दायर कर पंचायत बैठक में संकल्प पारित कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, तंवरी से मौके का नजरी नक्शा तैयार करवाया गया है एवं तीन वार्ड पंचों से भूमि का मौके का निरीक्षण भी करवाया गया है तथा ग्रामसेवक पदने सचिव, ग्राम पंचायत, तंवरी से भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई है। आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया है तथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के उपरान्त ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी फुसाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 07 दिनांक 27.6.2014 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested